छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 46/2006</u>

श्री सहदेव तांडी, ... अपीलार्थी
बजरंग मंदिर के पास,
गली नंबर–02, शंकर नगर
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी एवं ..... प्रतिअपीलार्थी
मुख्य अभियंता, लोक
निर्माण विभाग, भवन एवं
सड़क संभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(29 मई 2006)

श्री सहदेव तांडी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–18 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग से चाही गई सूचना नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपील मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग के समक्ष दिनांक 10–02–2006 को की गई। प्रतिअपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की कि चाही गई जानकारी उपलब्ध करा देगा। जानकारी 17–02–2006 को दी गई। आवेदक ने यह शिकायत की है कि अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत जानकारी 30 दिनों के अंदर दी जाना चाहिए, जो कि उसे 54 दिनों के पश्चात् प्राप्त हुई। अतः जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड दिया जावे।

आयोग के द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि जानकारी विलम्ब से दी गई, अतः अर्थदण्ड दिया जावे। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने यह चाहा था कि श्री नोबल कुमार वर्मा, विधायक के द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत की है, उसकी प्रतिलिपि उसे दी जावे। यह आवेदन पत्र दिनांक 26–11–2005 को प्रस्तुत हुआ। जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 02–01–2006 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित

प्रकरण से संबंधित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–8(बी) के अंतर्गत अनुरोध अमान्य किया जाता है।

आवेदक ने इसके विरूद्ध अपील की, जिसमें कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष जनहित याचिका की प्रति प्रदान करने के लिए जन सूचना अधिकारी सहमत हुए और उनके द्वारा दिनांक 16–02–2006 को 317 पृष्ठों की जानकारी आवेदक को डाक द्वारा भेजी गई। शिकायत प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत 13,500/– रूपए (रूपए तेरह हजार पाँच सौ मात्र) की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे, इसका नोटिस दिया गया। नोटिस के संबंध में जन सूचना अधिकारी को सुना गया। आवेदक ने दिनांक 26–11–2005 को आावेदन दिया था। इसके पश्चात् आवेदक ने गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण पत्र 8–12–2005 को प्रस्तुत किया। आवेदक को दिनांक 02–01–2006 के द्वारा उनका अनुरोध अमान्य किये जाने की सूचना दी गई। अर्थात् 8–12–2005 से 30 दिनों के भीतर उसे सूचित किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10–02–2006 के अनुसार दिनांक 16–02–2006 को आवेदक को वांछित अभिलेख की 317 पृष्ठ उपलब्ध कराई गई।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया और न ही सूचना अधिकारी का ऐसा मंतव्य प्रतीत होता है। अतः सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट होते हुए अधिनियम के अंतर्गत उन्हें अर्थदण्ड आरोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आवेदक की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है तथा सूचना अधिकारी को जारी नोटिस दिनांक 21–04–2006 निरस्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त